

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/104
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00098
CICOM/R/2016/01537

दिनांक: 12.04.2017

अपीलकर्ता : श्री पुरुषोत्तम कुमार झा,
4/50, इंद्रपुरी, पो0 - केशरी नगर,
पटना - 800024

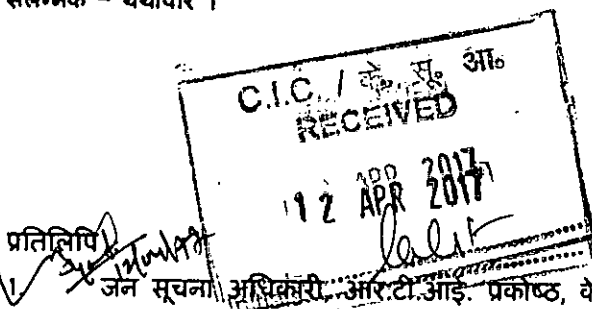
निर्णय की तारीख: 12.04.2017

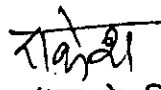
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.11.2016
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.11.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.12.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	194696/28.12.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	126/07.04.2017

- अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SM/C/2013/000598 की सुनवाई से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
- अपीलकर्ता का दिनांक 19.12.2016 का यह प्रथम अपीली जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 28.12.2016 को डायराइज हुआ तथा डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 07.04.2017 को प्राप्त हुआ। संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में दिनांक 29.11.2016 को श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि वर्तमान में उक्त द्वितीय अपील की फाइल उनकी रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं है तथा फाइल प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। श्री एस. सी. शर्मा को उक्त सूचना प्रदान किए हुए तीन महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अतः श्री एस. सी. शर्मा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को निर्देश दिया जाता कि उक्त द्वितीय अपील की फाइल एवं उस पर होने वाली सुनवाई के अद्यतन सूचना इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. 38 एफ 4666646 आपको वापस किया जाता है।

संलग्नक - यथोपरि।




(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

- श्री एस. सी. शर्मा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।